न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः– 14 /अ–19(3)/2017–18/661 बैतूल दिनांक 17/01/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांकः–विकास/2016/29710,दिनांक 11/11/2016 द्वारा जिले के विभिन्न विकासखण्डो में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के उक्त पत्र की छायाप्रति जिले के समस्त तहसीलदारो की ओर भेजकर, आवेदित प्रयोजन हेतु भूमि का चयन करके भूमि आवंटन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया ।

2– उक्त पत्र के परिपालन में नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मुलताई द्वारा ग्राम तॉईखेड़ा तहसील मुलताई में भूमि चयन कर आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– आवेदित प्रयोजन हेतु मौजा तॉईखेड़ा तहसील मुलताई स्थित भूमि ख. न. 77 रकबा 0.405 हेक्टे. मद घॉस का चयन किया गया एवं उक्त चयनित भूमि में से 60X60=3600 वर्गफुट भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई, निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए।

(2)– दिनांक 20–12–2017 को आयोजित ग्राम तॉईखेड़ा में आयोजित ग्रामसभा में सर्वसम्मति से, मौजा तॉईखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 77 रकबा 0.405 हेक्टेयर में से 60X60=3600 वर्गफुट उपस्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।

(3)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा तॉईखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 77 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73 के अनुसार मौजा तॉईखेड़ा स्थित खसरा नंबर 77 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि घॉस मद में दर्ज हैं।

(4)– नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) द्वारा प्रकरण में अंकित प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम तॉईखेड़ा का खाते का कुल रकबा 312.352 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 12.885 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में न्यूनतम 6.247 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध रहना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम में वर्तमान में 12.885 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध है, जो न्यूनतम आरक्षित रकबे से लगभग दो गुना अधिक है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई के रकबे में से 3600 वर्गफुट भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु हस्तांतरित करने की दशा में भी चरनोई का न्यूनतम आरक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)– नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई द्वारा मौजा तॉईखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 77 रकबा 0.405 हेक्टेयर मद घॉस में से 60X60=3600 वर्गफुट भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने की अनुशंसा की गई है।

3– म0प्र0शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात–नजूल/99 दिनांक 27–1–2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक –7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश कमांक

1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड– चार –एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण संबंधी समस्त प्रकरणो के निराकरण करने एवं मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओ के प्रकरणो का निराकरण करने हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन/ अनुशंसा के आधार पर मौजा तॉईखेड़ा प.ह.नं.105 तहसील मुलताई स्थित भूमि 77 रकबा 0.405 हेक्टे. मद घॉस में से 60X60=3600 वर्गफुट (0.034 हेक्टेयर) भूमि जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है, को आबादी घोषित करते हुए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल (मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग) को नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु निम्नलिखत शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती है।

(1)– हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)– भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर,
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:– 14 /अ–19(3)/2017–18/661 बैतूल दिनांक 17/01/2018

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई।
2– नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) जिला बैतूल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व अभिलेख में यथाआवश्यक संशोधन करके संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल।
4– खण्ड चिकित्सा अधिकारी मुलताई जिला बैतूल।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
6– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर,
जिला–बैतूल

18101